

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 298/2023

वाद पत्र अं० धारा 88/53 आर.टी.ए.

1. खुशकरण सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।
2. करणवीर सिंह उम्र-13 वर्ष पुत्र जसकरण सिंह नाबालिग जरीये संरक्षक परमजीतकौर पत्नी बलविन्द्र सिंह जाति जट सिख जाति जट सिख निवासी जण्डवाला सिखान. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।

- वादीगण

## बनाम्

1. बलविन्द्र सिंह पुत्र इन्द्राज सिंह, जाति जट सिख निवासी जण्डवाला सिखान. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।
2. कर्णपाल सिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति जट सिख निवासी जण्डवाला सिखान. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।
3. कुलवीर सिंह पुत्र बलराज सिंह जाति जट सिख निवासी जण्डवाला सिखान. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।
4. बलराज सिंह पुत्र कौर सिंह जाति जट सिख निवासी जण्डवाला सिखान. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।
5. शिवराज सिंह पुत्र जगमेर सिंह उर्फ हाकमसिंह जाति जट सिख निवासी जण्डवाला सिखान. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।
6. बलविन्द्रसिंह पुत्र नक्षत्र सिंह जाति जट सिख निवासी जण्डवाला सिखान. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।
7. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

-प्रतिवादीगण

उपरिस्थित :-1. श्री नरेश मण्डा -वकील वादीगण

2. श्री सजय धारणिया -वकील प्रति 1 ता 6

निर्णय

दिनांक :- 26.7.2023

वादीगण खुशकरण सिंह व अन्य ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह राजस्व वाद बाबत खाता तकसीम व घोषणा के तहत दिनांक 26-06-2023 को इस न्यायालय में पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पंजीकृत पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों के अन्तर्गत वही है जो वाद शीर्षक में अंकित है। कि चक 6 एन.के.आर. जमाबंदी सम्वत 2071-2074 जमाबंदी 2078 के खाता सं. 94/67 वादी सं. 1 के पिता व वादी सं. 2 के दादा बलविन्द्र सिंह के नाम से 1.012 है. इसी चक के खाता सं. 71/51 में 1.392 है. नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। कि वाद-पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि वादी सं. 1 के पिता व वादी सं. 2 के दादा के नाम से है जो हिन्दू परिवार की संयुक्त कृषि भूमि होने कारण वादीगण का हिस्सा जन्म से ही निहित है। वादी सं. 2 नाबालिग है वादी सं. 2 के पिता की मृत्यु हो चुकी है व वादी सं. 2 की माता ने अन्यत्र कही दूसरी शादी कर ली है जिसके कारण वादी सं. 2 की सम्पूर्ण सम्भाल,पालन-पोषण,पढाई-लिखाई वादी सं. 2 की दादी संरक्षक की हैसियत कर रही है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने घरू तौर पर उक्त कृषि भूमि का विभाजन कर लिया है। चक सं.-6 एन. के. आर. जमाबंदी सम्वत 2071-2074 जमाबंदी 2078 के खाता सं. -94/67 वादी सं. 1 के पिता व वादी सं. 2 के दादा बलविन्द्र सिंह के नाम से 1.012 है. ब.हि.ब.नहरी कृषि भूमि वादीगण के मौका पर कब्जा काश्त में है। जिसे वादीगण अपनी कृषि भूमि का

खाता विभाजित कर प्रतिवादी सं. 1 का खाता सं. 94/67 से नाम कलमजन करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। कि चक 6 एन.के.आर. जमाबंदी सम्वत 2071-2074 जमाबंदी 2078 के खाता सं. 94/67 वादी सं. 1 के पिता व वादी सं. 2 के दादा बलविन्द्र सिंह के नाम से 1.012 है. नहरी कृषि भूमि दर्ज है। वादीगण अपना खाता विभाजित मौका पर कब्जा काश्त अनुसार करवाना चाहता है। कब्जा काश्त निम्न प्रकार से है:-

(क) वादी सं.1 खुशकरण सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह, वादी सं.2 नाबालिग करणवीर सिंह पुत्र जसकरण सिंह जरीये कुदरती वली दादी परमजीतकौर पत्नी बलविन्द्रसिंह जाति जट सिख निवासी जण्डवाला सिखान तह. संगरिया को प्राप्त ब.हि.व.कृषि भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है:-

**चक 6 एन.के.आर. खाता सं. 94/67**

प. नं. मु. नं. किला नं.

141/155 45 19/0.202 है. किला नं.20 के चिपते, 20/0.253 है.

**चक 6 एन.के.आर. खाता सं. 71/51**

प. नं. मु. नं. किला नं.

141/155 45 21/0.253 है., 22/0.202 है. किला नं.21 के चिपते

(ख) प्रतिवादी सं.6 बलविन्द्र सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह सिंह जाति जट सिख निवासी जण्डवाला सिखान तह. संगरिया को प्राप्त कृषि भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है:-

**चक 6 एन.के.आर. खाता सं. 71/51**

प. नं. मु. नं. किला नं.

141/156 52 1/1/0.228 है., 1/2/0.025 है. गै.मु.रास्ता  
2/1/0.228 है.  
10,11,12,13/1.012 है.

(ग) प्रतिवादी सं.3 कुलवीर सिंह पुत्र बलराज सिंह 0.278 है., 2. बलराजसिंह पुत्र कौर सिंह 0.279 है. जाति जट सिख निवासी जण्डवाला सिखान तह. संगरिया को प्राप्त कृषि भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है:-

**चक 6 एन.के.आर. खाता सं. 94/67**

प. नं. मु. नं. किला नं.

141/155 45 11,12/0.506 है.,  
19/0.051 है. किला नं.18 के चिपते

प्रतिवादी सं.3 कुलवीर सिंह पुत्र बलराज सिंह 0.608 है., 2. बलराजसिंह पुत्र कौर सिंह 1.012 है. जाति जट सिख निवासी जण्डवाला सिखान तह. संगरिया को प्राप्त कृषि भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है:-

**चक 6 एन.के.आर. खाता सं. 71/51**

प. नं. मु. नं. किला नं.

141/155 45 1,2,3,8,9,10/1.518 है.  
22/0.051 है. किला नं.23 के चिपते

139/153 39 4/3/0.026 है. गै.मु. खाला

141/156 52 2/2/0.025 है. गै.मु.रास्ता

कि वादीगण मौका पर वाद-पत्र की चरण सं. 4 के खण्ड (क)के अनुसार व प्रतिवादी सं.1,3,4 ही काबिज है कब्जा काश्त बाबत किसी तरह का कोई विवाद नहीं है लेकिन राजस्व रिकार्ड में कब्जा अनुसार विभाजन न होने के कारण वादीगण के खातेदारी अधिकारो पर बुरा असर पडता है व रकम राज वाटरमेन्ट शुल्क आदि राज्य सरकार को अदा करने में कठिनाईया आती है



इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा कहा की आप विवादग्रस्त आराजी का प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटौल करते रहे लेकिन अंत में पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण, वादी भूमि धारक होने के कारण पक्षकार के रूप संयोजित किया गया है कि प्रतिवादी सं. 7 को के विभाजन का है जो कि उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है व अन्दर मियाद है माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। लिहाजा वाद वादीगण निम्नानुसार डिक्री फरमाया जावे। (क) कि चक 6एनकेआर के खाता सं. 94/67 में वादीगण को 0.455 है.व.हि.व. व खाता सं. 71/51 में वादीगण को 0.455 है. ब.हि.ब. व खाता सं. 94/67 में प्रतिवादी सं. 3 को 0.278 है. व प्रतिवादी सं. 4 को 0.279 है. का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 3 व 4 का खाता सं. 71/51 में 0.556 है. ब.हि.ब. हिस्सा कम कर प्रतिवादी सं. 1 का 0.101 है. हिस्सा वाद-पत्र की चरण सं. 4 के खण्ड (ख) के अनुसार बढ़ाया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता सं. 94/67 से प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन कर रकमराज अलग से कायम किया जावे। (ख) कि वाद पत्र की चरण सं. 4 के खण्ड (क)(ख)(ग) के अनुसार निम्नानुसार खाता विभाजित कर खाता सं. 94/67 से प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन कर रकमराज अलग से कायम किया जावे।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1,3,4,6 ने जरिये अधिवक्ता सहमती का जवाब दावा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 2 व 5 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 7 तहसीलदार राजस्व संगरिया का जवाब प्रस्तुत हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता जबाव उल जवाब प्रस्तुत नहीं करना चाहते। दोनों पक्षों में विवाद न होने के कारण तनकीयात न कायम कर वकील वादी को साक्ष्य वादी हेतु अवसर दिया गया। वादी स 1 ने साक्ष्य में शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 पेश किया गया जिसमें वादपत्र के तथ्यों को दर्शाया गया। साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। वकील वादीगण ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि चक 6एनकेआर के खाता सं. 94/67 में वादीगण को 0.455 है.ब.हि.ब. व खाता सं. 71/51 में वादीगण को 0.455 है. ब.हि.ब. व खाता सं. 94/67 में प्रतिवादी सं. 3 को 0.278 है. व प्रतिवादी सं. 4 को 0.279 है. का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 3 व 4 का खाता सं. 71/51 में 0.556 है. ब.हि.ब. हिस्सा कम कर प्रतिवादी सं. 1 का 0.101 है. हिस्सा वाद-पत्र की चरण सं. 4 के खण्ड (ख) के अनुसार बढ़ाया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता सं. 94/67 से प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन कर रकमराज अलग से कायम किया जाकर वाद वादीगण व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस में वकील प्रतिवादीगण ने वादीगण वकील कथन का विरोध नहीं किया। प्रतिवादी सं. 1,3,4,6 का सहमति का जवाब दावा व प्रतिवादी स 2 व 5 का सहमती का जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश हुआ। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वादीगण का वादपत्र व प्रति सं. 1,3,4,6 प्रति सं. 2 व 5 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किये जाने योग्य है।

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादीगण व प्रतिवादी स 1,3,4,6 जवाब दावा प्रतिवादी स 2 व 5 काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाता है कि:- चक 6एनकेआर के खाता सं. 94/67 में वादीगण को 0.455 है.ब. हि.ब. व खाता सं. 71/51 में वादीगण को 0.455 है. ब.हि.ब. व खाता सं. 94/67 में प्रतिवादी सं. 3 को 0.278 है. व प्रतिवादी सं. 4 को 0.279 है.का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 3 व 4 का खाता सं. 71/51 में 0.556 है. ब.हि.ब. हिस्सा कम कर प्रतिवादी सं. 1 का 0.101 है. हिस्सा वाद-पत्र की चरण सं. 4 के खण्ड (ख) के अनुसार बढ़ाया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता सं. 94/67 से प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन कर रकमराज अलग से कायम किया जाता है व वाद पत्र की चरण सं. 4 के खण्ड (क)(ख)(ग) के अनुसार निर्मानुसार खाता विभाजित कर खाता सं. 94/67 से प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन कर रकमराज अलग से कायम किया जाता है। एव प्रतिवादी स 2 व 5 का खाता काउन्टर क्लेम की चरण स 10 के खण्ड (क) (ख) अनुसार प्रतिवादी स 2 व 5 का खाता विभाजित किया जाता है।

पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो खर्चा पक्षकारान अपना-अपना अलग वहन करेगे।  
निर्णय आज दिनांक. 26... / 07... / 2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



*(Handwritten Signature)*

( रमेश देव )

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

डिक्री व मुकदमे ईवादाई  
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
पीठासीन अधिकारी :- रमेश देव (आर.ए.एस.)  
प्रकरण संख्या :- 298/2023  
वाद पत्र अंघारा :- 88/53 आरटीए



1. खुशकरण सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी जण्डवाला सिखान. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।
2. करणवीर सिंह उम्र-13 वर्ष पुत्र जसकरण सिंह नावालिग जरीये सरक्षक दादी सिखान. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।

- वादीगण

बनाम्

1. बलविन्द्र सिंह पुत्र इन्द्राज सिंह, जाति जट सिख निवासी जण्डवाला सिखान. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।
2. कर्णपाल सिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति जट सिख निवासी जण्डवाला सिखान. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।
3. कुलवीर सिंह पुत्र बलराज सिंह जाति जट सिख निवासी जण्डवाला सिखान. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।
4. बलराज सिंह पुत्र कौर सिंह जाति जट सिख निवासी जण्डवाला सिखान. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।
5. शिवराज सिंह पुत्र जगमेर सिंह उर्फ हाकमसिंह जाति जट सिख निवासी जण्डवाला सिखान. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।
6. बलविन्द्रसिंह पुत्र नक्षत्र सिंह जाति जट सिख निवासी जण्डवाला सिखान. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।
7. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

-प्रतिवादीगण

दिनांक :- 26/07/2023

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नरेश मण्डा वकील वादीगण मिन जामिन मुदई व श्री सजंय धारणिया वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 6 एव तहसीलदार राजस्व संगरिया मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है चक 6एनकेआर के खाता सं. 94/67 में वादीगण को 0.455 है. ब.हि.ब. व खाता सं. 71/51 में वादीगण को 0.455 है. ब.हि.ब. व खाता सं. 94/67 में प्रतिवादी सं. 3 को 0.278 है. व प्रतिवादी सं. 4 को 0.279 है. का खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 3 व 4 का खाता सं. 71/51 में 0.556 है. ब.हि.ब. हिस्सा कम कर प्रतिवादी सं. 1 का 0.101 है. हिस्सा वाद-पत्र की चरण सं. 4 के खण्ड (ख) के अनुसार बढ़ाया जाकर खातेदार काशतकार घोषित कर खाता सं. 94/67 से प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन कर रकमराज अलग से काथम किया जाता है व वाद पत्र की चरण सं. 4 के खण्ड (क)(ख)(ग) के अनुसार निम्नानुसार खाता विभाजित कर खाता सं.

महायुक्त कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

67से प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन कर रकमराज अलग से कायम कायम किया जाता है। एव प्रतिवादी सं 2 व 5 का खाता काउन्टर क्लेम की चरण सं 10 के खण्ड (क) (ख) अनुसार प्रतिवादी सं 2 व 5 का खाता विभाजित किया जाता है। वाद पत्र की चरण सं. 4 व काउन्टर क्लेम की चरण सं. 10 निम्नानुसार है

(क) वादी सं.1 खुशकरण सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह ,वादी सं.2 नाबालिग करणवीर सिंह पुत्र जसकरण सिंह जरीये संरक्षक दादी परमजीतकौर पत्नी बलविन्द्रसिंह जाति जट सिख निवासी जण्डवाला सिखान तह. संगरिया को प्राप्त ब.हि.ब.कृषि भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है:-  
चक 6 एन.के.आर. खाता सं. 94/67

प. नं.	मु. नं.	किला नं.
141/155	45	19/0.202 है. किला नं.20 के चिपते, 20/0.253 है.

(ख) प्रतिवादी सं.6 बलविन्द्र सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह सिंह जाति जट सिख निवासी जण्डवाला सिखान तह. संगरिया की कृषि भूमि  
चक 6 एन.के.आर. खाता सं. 71/51

प. नं.	मु. नं.	किला नं.
141/155	45	21/0.253 है., 22/0.202 है. किला नं.21 के चिपते

1/1/0.228 है., 1/2/0.025 है. गै. मु. रास्ता  
2/1/0.228 है.  
10,11,12,13/1.012 है.

(ग) प्रतिवादी सं.3 कुलवीर सिंह पुत्र बलराज सिंह 0.278 है., प्रतिवादी सं 4 बलराजसिंह पुत्र कौर सिंह 0.279 है. जाति जट सिख निवासी जण्डवाला सिखान तह. संगरिया की कृषि भूमि  
चक 6 एन.के.आर. खाता सं. 94/67

प. नं.	मु. नं.	किला नं.
141/155	45	11,12/0.506 है., 19/0.051 है. किला नं.18 के चिपते

प्रतिवादी सं.3 कुलवीर सिंह पुत्र बलराज सिंह 0.608 है., प्रतिवादी सं 4 बलराजसिंह पुत्र कौर सिंह 1.012 है. जाति जट सिख निवासी जण्डवाला सिखान तह. संगरिया की कृषि भूमि

चक 6 एन.के.आर. खाता सं. 71/51

प. नं.	मु. नं.	किला नं.
141/155	45	1,2,3,8,9,10/1.518 है. 22/0.051 है. किला नं.23 के चिपते
139/153	39	4/3/0.026 है. गै. मु. खाला
141/156	52	2/2/0.025 है. गै. मु. रास्ता

(घ) प्रतिवादी संख्या 2. कर्णपाल सिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ की कृषि भूमि:-  
चक 6 एन.के.आर. खाता सं. 71/51

प. नं.	मु. नं.	कि. नं.
139/152	33	24/0.253 है., 25/0.253 है.

26/2  
महायुक्त क्लेक्टर एव  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

(ब) प्रतिवादी संख्या 5.शिवराज सिंह पुत्र जगमेर सिंह उर्फ हाकम सिंह जाति जटसिख निवासी  
जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ की कृषि भूमि:-

प. न. 139/153 मु. न. 39 कि. न. 4/1/0.101 है.

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे

नोट - यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रिट दावे के  
अन्य पक्षकारों का अमल दरामंद कर दिया जावे।

निज  नल  मुब्लिक  निल  बाबत  निल  खर्चा मुकदमें के मय  
शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीखा वसूलयाबी तक  अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 26/07/2023 जारी किया गया।

26/7/23

( रमेश देव )

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
संगरिया

